कार्यकारी सार

हमने यह जानने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की कि क्या विभाग द्वारा विकसित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में स्वचालन (एसीईएस) के उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं। हमने बोर्ड के क्षेत्रीय संगठनों में एसीईएस के उपयोग की सीमा की भी जांच की। महानिदेशक सिस्टम और डाटा प्रबन्धन के कार्यालय के अलावा 40 चयनित कमिश्नरियों में निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में एसीईएस की कार्यप्रणाली के साथ-साथ अनुपालन मामलों दोनों से संबंधित कुछ अपर्याप्तताओं का पता चला।

क. एसीईएस में निर्मित जोखिम मापदण्डों के आधार पर विस्तृत संवीक्षा के लिए विवरणियों के चयन का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, रिटर्न मॉड्यूल में चयनित विवरणियों की समीक्षा के लिए समय-सीमा नहीं डाली गई थी।

(पैराग्राफ 2.1.3 और 2.1.4)

ख. एसीईएस में किसी दस्तावेज को अपलोड/एटैच करने का कोई प्रावधान नहीं था और डिजिटड हस्ताक्षर के लिए भी कोई प्रावधान नहीं था।

(पैराग्राफ 2.1.6 और 2.1.8)

ग. चयनित 40 कमिश्नरियों में से 33 कमिश्नरियों में विधिक, अधिनिर्णयन, निवारक/अपवंचन रोधी विंग इत्यादि की भूमिका का खाका नहीं बनाया गया था और इन्सपेक्टर स्तर के अधिकारियों को भी कोई ऐक्सेस प्रदान नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.2.3 और 2.2.4)

घ. हमने देखा कि एसीईएस में हितधारकों द्वारा दस मोड्यूल्स में से केवल तीन मोड्यूल (एक्सेस कन्ट्रोल लोजिक, पंजीकरण और रिटर्न) का उपयोग किया जा रहा है।

(अध्याय 3)

ङ. हमने देखा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के लिए बड़ी संख्या में रिटर्न्स को छोटी त्रुटियों के कारण पुनरीक्षा और सुधार के लिए चिन्हित किया जा रहा है जिसे उचित /मजबूत सत्यापन द्वारा सम्बोधित किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 3.3.3)

च. हमने देखा कि एसीईएस की विषम उपयोगिता का एक मुख्य कारण प्रशिक्षण /संगोष्ठियां/कार्यशालाओं का आयोजन न किया जाना है।

(पैराग्राफ 4.1 और 4.2)

छ. हमने देखा कि एसीईएस के कार्यान्वयन के पांच वर्षों के बाद भी, एसीईएस की कोई पश्च कार्यान्वयन समीक्षा नहीं करवाई गई थी।

(पैराग्राफ 4.6)

सिफारिशों का सार

1. एसीईएस में कर्मचारियों की मैपिंग के संबंध में अपनाई गई जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि श्रम दिवस बचाए जा सके जो एसीईएस में कार्य भूमिका सौंपने की अवधि के दौरान अप्रयुक्त रह जाते हैं।
2. एसीईएस के एक भाग के रूप में देयताओं को आफलाइन उपलब्ध करवा कर बकाया देयताओं से परित्यक्त आवेदनों के संसाधन तक पूर्ण लिकिंग के लिए प्रावधान प्रारंभ किया जा सकता है।
3. मंत्रालय के दो दिनों में पंजीकरण देने की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत पंजीकरण प्रमाण पत्रों को जारी करने में विलम्ब से उभरने के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन को तुरन्त पूरा करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना चाहिए।
4. आवश्यक सूचनाओं के लिए इलैक्ट्रानिक फाइलिंग को अनिवार्य किया जा सकता है जैसे इनवायस बहियां और रिकार्ड अनुरक्षण और एसटी के लिए भी सीएलआई मोड्यूल आरंभ किया जा सकता है ताकि

निर्धारितियों का विभागीय अधिकारियों के साथ इन्टरफेस अन्ततः कम हो सके।

5. यह देखते हुए कि एसीईएस पांच वर्षों से अधिक के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, सभी मोड्यूलों को संचालित करने के लिए सिस्टम को पुनर्गमन/अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि एसीईएस से अपेक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली सृजित हो सके।

6. विभाग/निर्धारितियों द्वारा अनांतिक मूल्यांकन, निर्यात, प्रतिदाय, दावों और सूचनाओं, विवाद निपटान प्रस्ताव और लेखापरीक्षा मोड्यूलों के काफी कम/आंशिक उपयोग के दृष्टिगत, विभाग सभी मोड्यूलों के प्रयोग की समीक्षा कर सकता है और सिस्टम को उपयोक्ता अनुकूल और परिणाम उन्मुख बनाने के लिए बाधाओं को पहचानने और हटाने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

7. विभाग कर्मचारियों को आवश्यकता आधारित और संरचित प्रशिक्षण प्रदान करने और निर्धारितियों के लिए जागरूकता संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए नीतिगत योजना बन सकता है और उसी आवधिक रूप से समीक्षा कर सकता है।